रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

CK 3/4/86

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 1986 (फाल्गुन 24, 1907)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 1986 (PHALGUNA 24, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	243
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	307
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	291
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड-3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	9819
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	197
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	253
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	43
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	243
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	307
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	291
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	9819
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	197
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	253
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	43
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1986

सं० 18-प्रेज/86—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राम आधार,
पुलिस संयुक्त अधीक्षक,
इटावा।

श्री अर्जुन सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक।

श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्रा,
पुलिस उप निरीक्षक।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

7 जुलाई, 1984, को श्री राम आधार, पुलिस संयुक्त अधीक्षक, को थाना चक्कर नगर, गांव कांची की बिहड़ में एक टीले पर डाकू जगदीश मल्लाह (उसके साथियों सहित) की उपस्थिति के विषय में सूचना मिली। उन्होंने तत्काल संबंधित स्टेशन अधिकारियों को सावधान किया और स्वयं, श्री अर्जुन सिंह, पुलिस उप निरीक्षक, बकेवर के साथ थाना चक्कर नगर पहुंचे। उन्होंने थाना चक्कर नगर से बल एकत्रित किया और इसे तीन दलों में विभाजित किया, एक दल का नेतृत्व स्वयं उन्होंने किया और दूसरे दल का नेतृत्व उप निरीक्षक अर्जुन सिंह, बकेवर और चक्कर नगर के उप निरीक्षक सुरेन्द्र नाथ मिश्रा ने। तीनों दल, योजना के अनुसार रेंगते हुए पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दिशा से टीले की तरफ बढ़े। पुलिस संयुक्त अधीक्षक ने अपराधियों का पता लगाया। उन्होंने देखा कि एक डाकू बन्दूक लिए सन्तरी के रूप में खड़ा है और अन्य दो उसके नजदीक बैठे हैं। उन्होंने पुलिस को घेरा तंग करने और आगे बढ़ने का संकेत किया। चौकीदारी कर रहे डाकू ने पुलिस दल पर गोली चलायी और टीले के ऊपरी भाग में मोर्चा लगाया। डाकुओं की गोलीबारी से श्री अर्जुन सिंह और श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्रा गोली लगने से घायल हो गए लेकिन घायल होने के बावजूद वे आगे बढ़े। उसके बाद श्री राम आधार, पुलिस संयुक्त अधीक्षक ने डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी। पुलिस बल ने रेंगते हुए डाकुओं के नजदीक आकर अपनी पकड़ मजबूत की। गोलीबारी लगभग एक घण्टे तक जारी रही। डाकुओं ने भागने का प्रयास किया लेकिन उनका पीछा किया गया। तथापि उनमें से दो, बिहड़ और स्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर बचकर भाग गए। एक डाकू को घटनास्थल पर मृत पाया गया, जिसकी बाद में शिनाख्त गिरोह के नेता, जगदीश मल्लाह के रूप में की गई। उसके कब्जे से दो कारतूसों के साथ एक ए. 12 बोर गन और एक लाऊड स्पीकर बरामद किया गया। घटनास्थल से दूसरी डी० बी० एम० एल० गन भी बरामद की गयी।

इस मुठभेड़ में, श्री राम आधार पुलिस संयुक्त अधीक्षक, श्री अर्जुन सिंह, उप निरीक्षक और श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्रा, उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 जुलाई, 1984, से दिया जाएगा।

सं० 19-प्रेज/86—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जी० एस० राठौड़,
पुलिस उप अधीक्षक,
35 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री भगवान दास,
उप निरीक्षक,
71 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

25 मई, 1984 को फिरोजपुर सिटी पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को अमृतसरिया गेट फिरोजपुर सिटी के भीतर चलने की सूचना मिली। वे तुरन्त 3 सहायक उप निरीक्षकों, 2 हैड कांस्टेबल तथा 7 कांस्टेबलों सहित गोली चलने के स्थान की ओर रवाना हुए। वहां पहुंच कर उन्होंने एक सहायक उप निरीक्षक, एक हैड कांस्टेबल तथा 2 कांस्टेबलों को, फिरोजपुर सिटी के धार्मिक संगठन के अध्यक्ष जिनकी उग्रवादियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जब वे अपनी दुकान बन्द करके रिक्शा पर घर जा रहे थे, के बारे में आवश्यक कार्रवाई करने सम्बन्धी निर्देश देकर वहीं छोड़ दिया। फिर थानाध्यक्ष शेष बल के साथ अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उनका तेजी से पीछा करने के लिए चल पड़े। बन्सी गेट पर उन्हें पुलिस उप अधीक्षक श्री जी० एस० राठौड़ के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सशस्त्र टुकड़ी मिली जिसमें उप निरीक्षक भगवान दास दो हैड कांस्टेबल, एक लांस नायक तथा 11 कांस्टेबल शामिल थे। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की यह टुकड़ी विधि तथा व्यवस्था के कार्य पर तैनात थी। पुलिस उप अधीक्षक ने अपने बल के साथ अपराधियों का पीछा किया। जिन्होंने मक्का के खेत में शरण ली थी। लगभग 8.30 बजे रात को जब चारों ओर अन्धेरा था। श्री राठौड़ ने मक्का के खेत को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया तथा इन क्षेत्रों में पुलिस बल को कार्य सौंपे। उप निरीक्षक भगवान दास भी एक क्षेत्र के इंचार्ज थे। श्री राठौड़ ने अपराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी क्योंकि वे सभी दिशाओं में पूरी तरह घिर चुके थे। अपराधियों ने खेत से बाहर की बजाय पुलिस पर गोली चलायी। पुलिस ने आत्म सुरक्षा में गोली चलायी। श्री राठौड़ और श्री भगवान दास ने अपने अपने सर्विस रिवाल्वर से दो दो राउन्ड गोलियां चलायीं। दोनों ओर से आधे घण्टे तक गोलीबारी होती रही। दोनों अधिकारी घुटनों के बल रेंगने लगे और अपराधियों के नजदीक पहुंचकर उन पर झपटे और संघर्ष के बाद उनको काबू में कर लिया। अपराधियों को गांव साबुलाना फिरोजपुर के नरसेम सिंह और पिपल सिंह के रूप में पहचाना गया। अपराधियों से 455 बोर का एक सर्विस रिवाल्वर, 9 कारतूसों और 3 खाली कारतूसों सहित तथा 455 बोर की सर्विस रिवाल्वर 3 भरे हुए तथा 3 खाली कारतूसों सहित बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री जी० एस० राठौड़, पुलिस उप अधीक्षक तथा श्री भगवान दास, उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 मई, 1984 से दिया जाएगा।

सं० 20-प्रेज/86—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का वीर सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० एन० शर्मा,
पुलिस निरीक्षक,
जिला—ग्वालियर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

31 अगस्त, 1978 को पुलिस थाना अन्तरी के गांव राडेरा में डाकू जवान सिंह के गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध छापा मारने का आयोजन किया गया। पुलिस निरीक्षक रघुनन्दन शर्मा, उप-निरीक्षक सुभाष चन्द तिवारी तथा प्लाटून कमाण्डर, जागेश्वर सिंह स्वेच्छा से छापामार पुलिस दल के सदस्य बने और डाकुओं के बिल्कुल नजदीक इस तरीके से मोर्चा सम्भाला कि डाकू गिरोह के सदस्य बचकर भाग न सकें। गिरोह 12 बोर की बन्दूकों तथा एम० एल० बन्दूकों इत्यादि से लैस था और राडेरा गांव के बाह्य परिसर में एक परित्यक्त मचइया में शरण लिए हुए था। ललकारे जाने पर डाकुओं ने पुलिस को रोकने और घेरे को तोड़कर भागने के लिए पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने जीवन को खतरे में डालकर मुकाबला किया और भागने के रास्तों को बन्द करने में बहुत महत्वपूर्ण तथा कारगर भूमिका निभायी। पुलिस दल द्वारा नजदीक से चलायी गयी गोलियों ने डाकुओं के गिरोह को बचकर भागने से रोका। इस मुठभेड़ में गिरोह का सरदार तथा तीन अन्य डाकू मारे गए और इस प्रकार पूरे गिरोह का सफाया कर दिया गया।

इस मुठभेड़ में श्री आर० एन० शर्मा, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 अगस्त, 1978 से दिया जाएगा।

सं० 21-प्रेज/86—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सुभाष चन्द तिवारी,
पुलिस उप निरीक्षक,
अन्तरी, जिला ग्वालियर।

श्री जागेश्वर सिंह,
प्लाटून कमांडर,
"क" कम्पनी, 14 बटालियन, एम० ए० एफ०
ग्वालियर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

31 अगस्त, 1978 को पुलिस थाना अन्तरी के गांव राडेरा में डाकू जवान सिंह के गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध छापा मारने का आयोजन किया गया। पुलिस निरीक्षक रघुनन्दन शर्मा, उप-निरीक्षक सुभाष चन्द तिवारी तथा प्लाटून कमाण्डर जागेश्वर सिंह स्वेच्छा से छापामार पुलिस दल के सदस्य बने और डाकुओं के बिल्कुल नजदीक इस तरीके से मोर्चा सम्भाला कि डाकू गिरोह के सदस्य बचकर भाग न सकें। गिरोह 12 बोर की बन्दूकों तथा एम० एल० बन्दूकों इत्यादि से लैस था और राडेरा गांव के बाह्य परिसर में एक परित्यक्त मचइया में शरण लिए हुए था। ललकारे जाने पर डाकुओं ने पुलिस को रोकने और घेरे को तोड़कर भागने के लिए पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने जीवन को खतरे में डालकर मुकाबला किया और भागने के रास्तों को बन्द करने में बहुत महत्वपूर्ण तथा कारगर भूमिका निभायी। पुलिस दल द्वारा नजदीक से चलायी गयी गोलियों ने डाकुओं के गिरोह को बचकर भागने से रोका। इस मुठभेड़ में गिरोह का सरदार तथा तीन डाकू मारे गए और इस प्रकार पूरे गिरोह का सफाया कर दिया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री सुभाष चन्द तिवारी, पुलिस उप निरीक्षक तथा श्री जागेश्वर सिंह, प्लाटून कमाण्डर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 अगस्त, 1978 से दिया जाएगा।

सं० 22-प्रेज/86—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सोहन लाल, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप अधीक्षक,
जिला फतेहगढ़।

श्री राम लच्छन यादव,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला फतेहगढ़।

श्री अर्जुन सिंह,
हैड कांस्टेबल,
जिला फतेहगढ़।

श्री राम नरेश,
कांस्टेबल,
जिला फतेहगढ़।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

29 जून, 1984 को गांव धर्मपुर के नजदीक गंगा नदी की घाटी में कश्मीरा यादव के गिरोह की उपस्थिति की सूचना मिली। श्री सोहन लाल, पुलिस उप अधीक्षक ने तुरन्त पुलिस बल की टुकड़ी गठित की जिसमें 6 उप-निरीक्षक (उप-निरीक्षक राम लच्छन यादव सहित), हैड कांस्टेबल अर्जुन सिंह तथा 27 कांस्टेबल (कांस्टेबल राम नरेश सहित) थे और तुरन्त घटना स्थल पर गए तथा उस क्षेत्र को तीन तरफ से घेर लिया। अपराधियों को जो सुरक्षित स्थान पर छिपे थे आत्मसमर्पण करने को चेतावनी दी गयी परन्तु इसके बजाय उन्होंने भारी गोलीबारी की आड़ में पश्चिमी किनारे से बचकर भागना शुरू कर दिया। पुलिस दल ने अपराधियों का पीछा किया तथा गोलियां चलायीं। एक अपराधी को पुलिस की गोली लगी और वह मर गया। डाकुओं द्वारा रुक रुक कर की गई गोलीबारी में हैडकांस्टेबल अर्जुन सिंह तथा कांस्टेबल राम नरेश गोलियां लगने से जख्मी हो गए। श्री सोहन लाल, पुलिस उप अधीक्षक तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा करना जारी रखा जिससे डाकुओं को गंगा के किनारे के पीछे मोर्चा लेने पर मजबूर होना पड़ा, जहां से वे गोलियां चलाते रहे। पुलिस दल जिसने नदी की तलहटी के पास मोर्चा संभाल लिया था, एक और डाकू को मौत के घाट उतारने में सफल हो गया जिसकी लाश नदी में गिर गयी। अचानक श्री सोहनलाल ने एक अपराधी को झाड़ी के पीछे देखा और वे तुरन्त उस पर झपटे परन्तु डाकू ने श्री सोहनलाल पर गोली चला दी जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। उप निरीक्षक राम लच्छन यादव तेजी से वहां पहुंचे और इससे पहले कि डाकू बन्दूक से और लोग घायल हों डाकू को अपनी गोली से मार डाला। पुलिस उप अधीक्षक सोहन लाल को फतेहगढ़ अस्पताल लाया गया, वहां से कानपुर ले जाया गया जहां उनका आपरेशन किया गया परन्तु, भरसक कोशिशों के बावजूद, पुलिस उप अधीक्षक का 11 जुलाई, 1984 को निधन हो गया।

इस मुठभेड़ में श्री सोहन लाल, पुलिस उप अधीक्षक, श्रीराम लक्ष्मन यादव, उप निरीक्षक, श्री अर्जुन सिंह, हैड कांस्टेबल तथा श्री राम नरेश, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 जून, 1984 से दिए जायेंगे ।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली–110066, दिनांक 18 जनवरी 1986

संकल्प

सं० हस्तशिल्प /डी० एस०/ए० डी० बी० कमेटी/82:—भारत सरकार ने मार्च, 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी, रंगतंत्र, का गठन किया है। सोसाइटी के नियम-विनियम के नियम 3 के अनुसार, सरकार ने निम्नलिखित को सोसाइटी की महापरिषद के सदस्य के रूप में नामित करने का निश्चय किया है :;–

1. अध्यक्ष	श्रीमती पुपुल जयकर सलाहकार (हथकरघा एवं हस्तशिल्प भारत सरकार, नई दिल्ली
2 कार्यालय आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय का प्रतिनिधि	श्री शिरोमणि शर्मा
3. विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय का प्रतिनिधि	श्री बी० के० अग्निहोत्री, अपर विकास आयुक्त (हथ करघा)
4. विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय का प्रतिनिधि	श्री जी० पी० अग्रवाल निदेशक, लघु उद्योग, जयपुर।
5. भारत सरकार (वित्त प्रभाग) का प्रतिनिधि	श्री एस० कृष्णा मूर्ति निदेशक (वित्त) वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली
6. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का प्रतिनिधि	श्री अशोक चटर्जी, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद।
7. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम का प्रतिनिधि	श्री पी० शंकर, महा प्रबन्धक हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली।
8. खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधि	श्री डी० के० घोष उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (6) खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, बम्बई
9. केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम का प्रतिनिधि	श्री के० पी० जौहर, प्रबन्धक निदेशक, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, नई दिल्ली ।
10. विशिष्ठ परम्परागत शिल्पी	श्री जी० गोवर्धन, सेंधुनकर सेवा केन्द्र, हैदराबाद।
11 विशिष्ठ परम्परागत	श्री सुदर्शन साहु, स्टेशन रोड, पुरी उड़ीसा।
12 व्यवसायिक डिजाइनरकार	श्री मार्तंड सिंह डिजाइनकार, नई दिल्ली।
13 व्यावसायिक डिजाइनकार	श्री राजीव सेठी डिजाइनकार, नई दिल्ली।
14. शिल्प कला का अच्छा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति	श्री गुलाम एम० शेख, 4, रेजीडेंसी बंगला, बड़ौदा।
15. शिल्प विपणन अनुभव रखने वाला व्यक्ति	श्री गुलाम रसूल खान, गुलाम मोहिद्दीन खण्ड सन, श्रीनगर।
16. शिल्प-विपणन अनुभव रखने वाला व्यक्ति	श्री जान एल० बिल्मल, फबिन्दियां ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली ।
17. शिल्प और ग्रामीण विकास से संबंधित शिक्षा और अनुसन्धान में अनुभव रखने वाली व्यक्ति	श्री जे० स्वामीनाथन, निदेशक, भारत सरकार भवन, भोपाल
18. स्वयंसेवक/सहकारिता शिल्प अभिकरण का प्रतिनिधि	श्रीमती प्रभा शाह, मोहन शंकरी संघ लिमिटेड, बम्बई-20
19 कार्यकारी निदेशक	श्रीमती रतिविनय झा, मद्रास।
20. सरकार द्वारा समय समय पर निर्णय किये गये अनुसार कोई अन्य व्यक्ति/अभिकरण	डा ज्योतिन्द्र जैन, वरिष्ठ निदेशक, शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली।

इस संकल्प के जारी होने की तारीख से महापरिषद की कार्यविधि 3 वर्ष होगी।

महापरिषद सरकार की पूर्व अनुमति से समिति या उपसमिति विशेषज्ञों का पेनल, जैसा आवश्यक हो, नियुक्त कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाये और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

शिरोमणि शर्मा, सचिव।

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 1986

सं० क्यू 16011/7/85–डब्ल्यू ई०:—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियम और विनियमों के नियम 4(i) से (vi) के साथ पठित नियम 3(iii) के अनुसरण, भारत सरकार, डा० (श्रीमती) प्रीति लता त्रिपाठी के स्थान पर, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिये श्री विकास मजूमदार, जे०–1970, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019, को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

तदनुसार, भारत के राजपत्र के भाग–1, खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की तारीख 8/15 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या क्यू-16012/3/79–डब्ल्यू० ई. (समय समय पर संशोधित), में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे, अर्थात:—

(i) वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, अर्थात:—

"16 डा० (श्रीमती) प्रीति लता त्रिपाठी,
5, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली इण्टक

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात:—

16. श्री विकास मजूमदार,
जे–1970, चितरंजन पार्क,
नई दिल्ली–1100019।"

सं० क्यू० 16011/7/85–डब्ल्यू० ई०:—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियम और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में, भारत सरकार इण्टक की डा० (श्रीमती) प्रीति लता त्रिपाठी के स्थान पर इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के श्री विकास मजूमदार को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है।

चिन्ना चोपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th February 1986

No. 18-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Ram Adhar,
Joint Superintendent of Police, Etawah

Shri Arjun Singh,
Sub-Inspector of Police.

Shri Surendra Nath Misra,
Sub-Inspector of Police.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

On the 7th July, 1984, Shri Ram Adhar, Joint Superintendent of Police got information about the presence of dacoit Jagdish Mallah (along with his associates) at a 'Tila' in the ravines of Village Kanchi, Police Station Chakar Nagar. He immediately alerted the concerned Station Officers and he alongwith Shri Arjun Singh, Sub-Inspector of Police, Bakewar reached Police Station Chakar Nagar. He collected the force from Police Station Chakar Nagar and divided it into three parties; one party headed by himself and the other parties were headed by Sub-Inspector Arjun Singh, Bakewar and Sub-Inspector S. N. Misra, Chakar Nagar. The three parties advanced towards the 'Tila' according to the plan, from Eastern, Western and Southern sides by crawling. The Joint Superintendent of Police located the criminals. He saw one dacoit with a gun standing as a sentry and other two sitting nearby. He signalled the Police to close the circle and advance further. The dacoit, who was guarding, opened fire on the Police party and took position on the top of the 'Tila'. As a result of firing from the dacoits Shri Arjun Singh and Shri S. N. Misra received gun shot injuries but they advanced further, inspite of the injuries. Thereafter, Shri Ram Adhar, Joint Superintendent of Police challenged the dacoits to surrender. The Police parties continued to tighten up the grip by crawling and moving closer to the dacoits. The exchange of fire continued for about an hour. The dacoits made an attempt to escape but they were chased away. However, two of them escaped taking advantage of the ravines and topography of the place. One dacoit was found dead on the spot and was later identified as the gang leader Jagdish Mallah. A .12 bore gun with cartridges and a loud speaker were recovered from his possession. Another DBML gun was also recovered from the scene of occurrence.

In this encounter, Shri Ram Adhar, Joint Superintendent of Police, Shri Arjun Singh, Sub-Inspector and Shri Surendra Nath Misra, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th July, 1984.

No. 19-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the Officers

Shri G. S. Rathore,
Deputy Superintendent of Police,
35 Bn, CRPF.

Shri Bhagwan Dass,
Sub-Inspector,
71 Bn, CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 25th May, 1984, an information about firing inside the Amritsaria Gate, Ferozepur City, was received by the SHO of Police Station Ferozepur City. He alongwith 3 Assistant Sub-Inspectors of Police, 2 Head Constables and 7 Constables immediately left for the scene of firing. On reaching there, he left behind one ASI, one Head Constable and two Constables with instructions to take necessary action with regard to the murder of the President of a religious organisation of Ferozepur City, who was shot dead by the extremists while he was going to his house in a rickshaw after closing his shop. The SHO then left with the residual force in hot pursuit to arrest the criminals. At the Bansi Gate he met an armed section of CRPF, headed by Shri G. S. Rathore, Dy. Supdt. of Police, and consisting of Sub-Inspector Bhagwan Dass, two Head Constables, one L/NK and 11 Constables. This section of the CRPF was on law and order duty. The Deputy Supdt. of Police with his force made a hot pursuit of the culprits who had taken shelter in a maize field. At about 8.30 P.M. when it was dark all along, Shri Rathore divided the maize field into various sectors and entrusted duties to the Police force in those sectors. Sub-Inspector Bhagwan Dass was also incharge of one sector. Shri Rathore challenged the culprits to surrender to the Police as they had been cordoned off from all sides. The culprits opened fire at the Police instead of coming out of the field. The Police opened fire at the culprits in self defence. Shri Rathore and Shri Bhagwan Dass fired two rounds each from their service revolvers. The exchange of fire continued for half an hour. Both the officers crawled on knee and after reaching near the accused, pounced upon them and over powered them after a struggle. The accused were identified as Tarsem Singh and Pipal Singh of village Sabulana, Ferozepur. One loaded service revolver 455 bore with 9 live cartridges, and 3 empties and loaded 455 bore revolver with 3 live and 3 empty cartridges were recovered from the accused.

In this encounter, Shri G. S. Rathore, Deputy Superintendent of Police and Shri Bhagwan Dass, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible rule 5, with effect from the 25th May, 1984.

No. 20-Pers/86.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri R. N. Sharma,
Inspector of Police,
District Gwalior.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 31st August, 1978, a raid was organised against the members of the gang of dacoit Jawan Singh in village Radera, Police Station Antri. Inspector Raghu Nandan Sharma, Sub-Inspector Subhash Chand Tiwari and Platoon Commander Jageshwar Singh volunteered to become the members of the raiding Police party and took position in the nearest vicinity of the dacoits in such a way that the members of the dacoit gang could not escape. The gang was equipped with .12 bore guns, ML guns etc, and was taking shelter in an abandoned Madhaiya on the outskirts of village Radera. On being challenged, the dacoits rushed out firing on the Police party with a view to immobilise them and to escape by breaking through the cordon. The officers exposed their lives to stark danger and played a very prominent and effective role in blocking the escape routes. The effective fire by the Police party from close range prevented the escape of the dacoit gang. In the encounter, the gang leader and three other dacoits were shot dead, and thus the entire gang was liquidated.

In this encounter, Shri R. N. Sharma, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Bar to Police Medal and Consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st August, 1978.

No. 21-Pers/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of officers

Shri Subhash Chand Tiwari,
Sub-Inspector of Police,
Antri, District Gwalior.

Shri Jageshwar Singh,
Platoon Commander,
'A' Coy 14 Bn., SAF, Gwalior.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 31st August, 1978, a raid was organised against the members of the gang of dacoit Jawan Singh in village Radera, Police Station Antri. Inspector Raghu Nandan Sharma, Sub-Inspector Subhash Chand Tiwari and Platoon Commander Jageshwar Singh volunteered to become the members of the raiding Police party and took position in the nearest vicinity of the dacoits in such a way that the members of the dacoit gang could not escape. The gang was equipped with .12 bore guns, ML guns etc. and was taking shelter in an abandoned Madhaiya on the outskirts of village Radera. On being challenged, the dacoits rushed out firing on the Police party with a view to immobilise them and to escape by breaking through the cordon. The officers exposed their lives to stark danger and played a very prominent and effective role in blocking the escape routes. The effective fire by the Police party from close range prevented the escape of the dacoit gang. In the encounter, the gang leader and three other dacoits were shot dead, and thus the entire gang was liquidated.

In this encounter, Shri Subhash Chand Tiwari, Sub-Inspector and Shri Jageshwar Singh, Platoon Commander, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st August, 1978.

No. 22-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri Sohan Lal (Posthumous)
Deputy Superintendent of Police,
District Fatehgarh.

Shri Ram Lachhan Yadav,
Sub-Inspector of Police,
District Fatehgarh.

Shri Arjun Singh,
Head Constable,
District Fatehgarh.

Shri Ram Naresh,
Constable,
District Fatehgarh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 29th June, 1984, an information about the presence of Kashmira Yadav gang in the ravines of river Ganga near Village Dharampur was received. Shri Sohan Lal, Dy. Supdt. of Police, immediately collected a posse of Police force consisting of 6 Sub-Inspectors (including Sub-Inspector Ram Lachhan Yadav) Head Constable Arjun Singh and 27 Constables (including constable Ram Naresh) and rushed to the spot and surrounded the area from three directions. The culprits who were in safe hiding were warned to surrender. Instead, they started escaping from the western flank under the cover of heavy fire. The Police party chased the culprits and fired. One of the culprits was hit by the Police fire and fell dead. With the intermittent firing kept by the dacoits, Head Constable Arjun Singh and Constable Ram Naresh received gun shots injuries. Shri Sohan Lal, Dy. Supdt. of Police and other Police personnel continued their chase which forced the dacoits to take position behind the bank of Ganga from where they continued their firing. The Police party which had also taken position close to the river bed, was successful in killing one more dacoit, whose dead body fell into the river. Suddenly, Shri Sohan Lal saw one of the culprits behind a bush and immediately pounced upon him but the dacoit fired at Shri Sohan Lal causing severe injuries. Sub-Inspector Ram Lachhan Yadav reached there quickly and shot the dacoit before the dacoit's gun could claim more victims. The Deputy Supdt. of Police Sohan Lal was immediately removed to hospital at Fatehgarh and from there to Kanpur, where he was operated upon but, inspite of best efforts the Dy. Supdt. of Police breathed his last on 11th July, 1984.

In this encounter, Shri Sohan Lal, Dy. Supdt of Police, Shri Ram Lachhan Yadav, Sub-Inspector, Shri Arjun Singh, Head-Constable and Shri Ram Naresh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th June, 1984.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 18th January 1986

RESOLUTION

No. HB/DS/Adv. Committee/82—Government of India had constituted, Rangatantra, an autonomous society in March, 1984. As per Rule 3 of the Rules and Regulations of the Society, Government have decided to nominate the following as Members of General Council of the Society :—

(i)	Chairperson	Smt. Pupul Jayakar Adviser (H&H)—Govt. of India, New Delhi.
(ii)	Representative of the DC (Handicrafts)	Shri Shiromani Sharma
(iii)	Representative of the DC (Handlooms)	Shri V.K. Agnihotri, Addl. Dev. Commissioner (Handlooms)
(iv)	Representative of the DC (SSI)	Shri G.P. Agarwal, Director SISI—Jaipur.
(v)	Representative of the Govt of India (Finance Division)	Shri S. Krishnamurthy, Director (Finance)—Ministry of Textile, New Delhi.
(vi)	Representative of the National Institute of Design	Shri Ashoke Chatterjee NID-Ahmedabad.
(vii)	Representative of HHEC	Shri P. Shankar, Genl. Manager—HHEC—New Delhi.
(viii)	Representative of Khadi & Village Industries Sector	Shri D.K. Ghosh, Dy. C.E.O. (VI)—KVIC, Bombay.
(ix)	Representative of CCIC	Shri K.B. Johar, MD-CCIE, New Delhi.
(x)	Outstanding traditional crafts person	Shri Sundershan Sahu, Station Road, Puri—Orissa.
(xi)	Outstanding traditional crafts person	Shri G. Govardhana, Weavers Service Centre, Hyderabad.

(xii)	Professional Designer	Shri Martand Singh—Designer—New Delhi.
(xiii)	Professional Designer	Shri Rajiv Sethi—Designer—New Delhi.
(xiv)	Person with background in Fine Arts	Shri Gulam M. Sheikh, 4, Residency Bungalow—Baroda.
(xv)	Person with marketing experience in crafts	Shri Gulam Rasull Khan—Gulam Mohidin & Son—Srinagar (J&K)
(xvi)	Person with marketing experience in crafts	Shri John L. Bassell, FABINDIA Overseas Pvt. Ltd.
(xvii)	Person with experience in education & research relating to crafts and rural development.	Shri J. Swaminathan—Director—Bharat Bhavan, Bhoapl.
(xviii)	Representative of Voluntary/Coop. Crafts Agency	Smt. Prabha Shah—Sohan Sahakari Sangh Ltd., Bombay-20.
(xix)	Executive Director	Smt. Rathi Vinay Jha—Madras-10.
(xx)	Any other person/agency as may be decided by the Govt., from time to time.	Dr. Jyotindra Jain, Senior Director, Crafts Museum, New Delhi.

The term of the General Council will be for a period of 3 years with effect from the date of this Resolution.

The General Council may with the prior approval of Government appoint Committees or Sub-Committees/Panels of experts as may be necessary.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

SHIROMANI SHARMA, Secy.
(Textiles)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st February 1986

No. Q-16011/7/85-WE.—In pursuance of Rule 3(iii) read with Rules 4 (iv to vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Shri Bikas Majumdar, J-1970, Chittaranjan Park, New Delhi-110019 as a member of the Central Board for Workers Education in place of Dr. (Mrs.) Priti Lata Tripathi, to represent Indian National Trade Union Congress, from the date of issue of this Notification.

The following changes shall be made accordingly, in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/3/79-WE dated the 8th/15th May, 1981 published in the Gazette of India Part-I Section 1, as amended from time to time.

(i) for the existing entry viz :—

"16. Dr. (Mrs.) Priti Lata Tripathi,
5, Talkatora Road,
New Delhi. (INTUC).

(ii) the following entry should be substituted viz :—

"16. Shri Bikas Majumdar,
J-1970, Chittaranjan Park,
New Delhi-110019.

No. Q-16011/7/85-WE.—In pursuance of Rule-8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby nominate Shri Bikas Majumdar of Indian National Trade Union Congress as a member of the Governing Body of the Central Board for Workers Education vice Dr. (Mrs.) Priti Lata Tripathi of INTUC Delhi with effect from the date of issue of this Notification.

CHITRA CHOPRA
Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1986